

## प्रबन्धन के सिद्धान्त (Principles of Management)

प्रबन्धन क्रिया के लिए कुछ सिद्धान्तों की रचना हेनरी फॉयल (Henry Fayol) नामक फ्रैंच उद्योगपति ने की, जो प्रबंधन श्वोरी का विशेषज्ञ माने जाते हैं। प्रबन्धन के सिद्धान्तों या नियमों (laws) को अच्छे प्रबन्धन के लिए आज सभी प्रतिष्ठानों में आवश्यकतानुसार लागू किया जाता है।

हेनरी फॉयल ने जो प्रबन्धन के सिद्धान्त या नियम बताये उन्हें लागू करने के लिए चेतावनी भी दी कि,

- (i) प्रबन्धन के नियमों का पालन कठोरता से नहीं, बल्कि लचीलेपन से होना चाहिये।
- (ii) इन नियमों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करना चाहिये।

हेनरी फॉयल ने अपने अनुभव के आधार पर 14 सिद्धान्त बताये जिनका विवरण आगे दिया गया है।

(1) कार्य या श्रम का विभाजन (Division of Work or Labour)—किसी भी कार्य को करने में कुछ मानसिक (Mental) और कुछ शारीरिक (Manual) कार्य सम्मालित होते हैं। शारीरिक कार्य करने में भी विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है जिससे अच्छी गुणवत्ता का कार्य प्राप्त हो सके। इस प्रकार, कार्य का विभाजन प्रबंधक और श्रमिकों के बीच बांटा जाना चाहिये। व्यक्ति की रुचि के अनुसार और उसकी दक्षता के अनुसार ही कार्य का आवंटन करना चाहिये। कार्य विभाजन सिद्धान्त के लाभ या अलाभ दोनों ही हैं।

लाभ (Advantages)—एक कामगार द्वारा एक ही प्रकार का कार्य बार-बार करते रहने से—

**लाभ (Advantages)**—एक कामगार द्वारा एक ही प्रकार का कार्य बार-बार करते रहने से—

- (i) कामगार अपने जॉब से पारंगत हो जाता है।
- (ii) उत्पादन दर में वृद्धि होती है।
- (iii) उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- (iv) कामगार अपनी राय देने योग्य हो जाता है। वह उत्पाद के सम्बन्ध में परिवर्तन, प्रक्रम में बदलाव, कार्य करने तरीकों पर लप्पना मत दे सकता है।

**अलाभ (Disadvantages)**—

- (i) कामगार की अपनी हस्तशिल्पता (Craftsmanship) का हास होता है। वह मर्शीनी मानसिकता बाला ब्यक्ति बनकर रह जाता है।
- (ii) कुछ समय तक एक ही जॉब बनाते रहने के कारण, कामगार का कार्य नीरस व उत्साहरहित हो जाता है।
- (iii) कामगार अन्य कोई काम नहीं सीख पाता, वह किसी और कामगार के अनुपस्थित रहने पर उसका कार्य नहीं कर सकता।

**(2) अधिकार और दायित्व (Authority and Responsibility)**—

- (i) अधिकार और दायित्व एक-दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। अधिकार और दायित्व हाथ से हाथ मिलाकर चलने चाहिये और परस्पर रिस्तों में बंधे होने चाहिये।
- (ii) एक प्रबन्धक या प्रशासक अपने कार्य के प्रति तभी चायोंचित निर्णय ले सकता है जब दायित्वों के साथ-साथ उसके पास उचित अधिकार भी हों।
- (iii) अधिकार के बिना दायित्व तथा दायित्व के बिना अधिकार अर्थहीन होते हैं।

**(3) अनुशासन (Discipline)**—

- (i) एक अधिकार में, अनुशासन का होना, उसके दक्षतापूर्ण कार्य के लिए अति आवश्यक है।

(ii) अनुशासन का अर्थ है कि कामगार सेवा नियमों का पालन करें, अपने कार्य का निष्पादन नियमानुसार करें जिसे पूर्ण करने के लिये वह कटिबद्ध हैं।

अनुशासन का अर्थ यह भी है कि वह अपने अधिकारियों का सम्मान बिना किसी भेदभाव के करें।  
(iii) अनुशासन में रहने वाला कामगार, दिये गये कार्य के प्रति वाफादार होता है, अपने से उच्च अधिकारियों का सम्मान करता है, आज़ाकारी होता है, आदि।

अनुशासनहीनता और उद्धण्डता, प्रतिष्ठान के लिए घातक होती है।

(4) यूनिटी ऑफ कमाण्ड (Unity of Command)—यूनिटी ऑफ कमाण्ड का अर्थ है कि कामगारों को केवल एक बौंस या सुपरवाइजर से आदेश और निर्देश मिलने चाहिये। इसका तात्पर्य है कि एक कामगार को एक से अधिक सुपरवाइजर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिये।

यूनिटी ऑफ कमाण्ड से कामगारों में कार्य के प्रति भ्रांति उत्पन्न नहीं होती, गलतियाँ नहीं होती और कार्य करने में विलम्ब नहीं होता।

(5) यूनिटी ऑफ डायरेक्शन (Unity of Direction)—एक श्रेणी के कार्य के लिए एक ही प्लॉन ऑफ एक्शन होना चाहिये, लक्ष्य प्राप्त करने की एक ही दिशा होनी चाहिये और एक ही समय सारणी होनी चाहिये।

यूनिटी ऑफ कमाण्ड, कामगारों पर लागू होता है जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अधिष्ठान के अमुक डिपार्टमेंट या संबंधन के लिए होती है। इसलिए अधिष्ठान की गतिविधियों को दिशा निर्देश देने के लिए एक ही मास्टर प्लान होना चाहिये।

(6) व्यक्तिक हित बनाप सामान्य हित (Subordination of Individual to General Interest)—अधिष्ठान का हित सभी प्रकार से सर्वोपरि है। इस दृष्टिकोण से कुछ व्यक्तिक हितों को नजर अंदाज करना या उन्हें किनारे कर देना पड़े तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर लेना चाहिये।

अधिष्ठान का हित या लाभ मूल प्राथमिकता है और व्यक्तिक लाभ दूसरी प्राथमिकता है। इसके लिए कठोर कदम भी उठाने पड़े हो तो उठाने चाहिये।

(7) पारिश्रमिक (Remuneration)—कामगार को उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं सेवाओं के बदले प्रतिष्ठान से जो कीमत प्राप्त होती है, उसे पारिश्रमिक कहते हैं।

पारिश्रमिक, चासांत होना चाहिये और उसका मूल्य प्रतिष्ठान के सकल लाभ के अनुपात में होना चाहिये। कामगार की मेहनत और ईमानदारी के बदले उसे समतुल्य पारिश्रमिक न मिले तो वह निराश होता है। फिर कामगार अपने हृदय से कार्य नहीं करता।

पारिश्रमिक का निर्धारण सुनियोजित स्कीम के अन्तर्गत करना चाहिये। किसी नये कार्य को आरम्भ करने से पूर्व ही उसके लिये निर्धारित पारिश्रमिक की घोषणा कर देनी चाहिये जिससे कामगार अपनी मेहनत और लगन से काम करके, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

(8) अधिकारों का केन्द्रीकरण (Centralisation of Authority)—अधिकारों के केन्द्रीकरण से तात्पर्य है, एक हाथ में सभी अधिकार रहना और अलग-अलग सेवानों या विभागों को अधिकार न देना।

अधिष्ठान, का साझा, कार्य की प्रकृति, इत निर्णय लेने की आवश्यकता आदि, ऐसे कुछ कारण हैं जिनके अनुसार अधिकारों का प्रतिनिधान एक अधिकारी अथवा एक से अधिक अधिकारियों के हाथों में हिया जा सकता है।

जब एक ही व्यक्ति सभी निर्णय लेता है और आदेश पारित करता है, तब ऐसी अधिकारों का प्रतिनिधान होता है, अर्थात् सभी अधिकार एक बिन्दु पर होते हैं। यह बिन्दु एक व्यक्ति पर केन्द्रित रहता है।

कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिनमें शीघ्र निर्णय लेने होते हैं, जैसे—जॉखिम भरे कार्य, संकटकालीन स्थिति आदि। इसलिए अधिकारों का केन्द्रीकरण करते समय अधिष्ठान के हितों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

(9) **पैड़ीदार शृंखला (Scalar Chain)**—अधिकार और कमांड का प्रतिनिधान प्रबन्धन के उच्च स्तर से निम्नतम् स्तर तक पैड़ीदार शृंखला के समान होना चाहिये। इसमें प्रबन्धकों (Managers) को अधिकारों की शृंखला समझना चाहिये। एक संगठन (Organisation) की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिये जिसमें ज्येष्ठ-कनिष्ठ सम्बन्धों के बीच अधिकारों की श्रेणीबद्धता बनी रहे।

प्रबन्धकों के आदेश उचित माध्यम से पैड़ीदार शृंखला में चलने चाहिये। उदाहरण के लिए एक इन्जीनियरी प्रतिष्ठान में वक्स्स मैनेजर के आदेश सहायक मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर से होकर कामगार के पास आने चाहिये। इसी शृंखला में कामगार से वक्स्स मैनेजर तक कार्य की रिपोर्ट जानी चाहिये। कामगार के कार्य की रिपोर्ट प्रबन्धन के किस स्तर तक जानी है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमुक स्तर पर अधिकारों का कितना प्रतिनिधान किया गया है। यदि फोरमैन सक्षम है तो कार्य का निस्तारण उन्हें कर देना चाहिये। यदि निर्णय लेना उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है, तो अपनी टिप्पणी के साथ, आगे सोचन वाले अधिकारी के पास भेज देना चाहिये।

(10) **व्यवस्था (Order)**—एक प्रतिष्ठान में मैटीरियल का सही स्थान तथा कामगार का सही कार्यस्थल व्यवस्था कहलाता है। मैटीरियल का सही इस्तेमाल और श्रमशक्ति का उपयोग करने के लिए व्यवस्था को बनाये रखना आवश्यक है। यह सर्वानुषित है कि वस्तुओं को अव्यवस्थित ढंग से रखा जायेगा तो उनका उचित उपयोग करना सम्भव नहीं है।

(11) **निष्पक्ष व्यवहार (Equity Treatment)**—निष्पक्ष का अर्थ है, बड़ों का छोटों के साथ बिना भेदभाव न्यायसंगत बताव। इसमें न्याय और विनम्रता दोनों का मेल होता है। प्रबन्धकों को चाहिये कि वे सबके साथ समान बताव करें, किसी को गिराकर, दूसरे को उठाने की नीति, स्वस्थ नीति नहीं है। निष्पक्ष व्यवहार बनाये रखने से प्रबन्धकों और कामगारों के बीच मधुर सम्बन्ध बने रहते हैं।

**सामाजिक अस्थायित्व (Social Instability)**— इसका अर्थ है कामगार के जीव का स्थायित्व या सुरक्षा। प्रबलन्ध और चार्टर के द्वारा उत्पन्न बदलावों एवं उनमें रखने के प्रति संशय की भावना को समाप्त कर दे और उल्लङ्घन करने के लिए गठित करना। कामगार यदि उनमें जाता है सहज है और जीव के प्रति आशवस्त है तो वह पूर्ण लान व निष्ठा से काम करेगा। सामाजिक अस्थायित्व के मुद्दे जीवित के लकड़ा रहेता। अस्थायित्व (instability) की भावना खुराक प्रबन्धन के उल्लङ्घन द्वारा उत्पन्न होती है जो काम के प्रति व्यक्त-एवं-स्विकृत (initiative) नहीं होती।

(L3) इनिटिएटिव (Initiative)— पहल-शक्ति, पहल या स्वतः प्रेरणा के पालाई एक शब्द है, जिसमें काम के लिए उपयोगी रुद्धि को चाहिये कि वह किना किसी धंदे-धार के अपने कामगारों को आवश्यक बनाने का ज़माना बढ़ाना है। एक ऐसा कर्मचारी जो आवश्यक की जगह नई योजना को चालू करता है, वह कामगी के लिए उपयोगी हो जाता है। परन्तु— कर्मचारी के विवरणित उत्पदन और उपयोगी प्राप्ति में बाधक नहीं होना चाहिये। कर्मचारी ये को संस्कारित करके उन्हें एक उत्पादन बनाने चाहिये, जिसमें कार्य-निष्पादन में युधार किया जा सके। उपयोगी सुझावों पर कर्मचारी को जीवोंकी ओर

(१५) संक्षेप व अधिकारी (Esprit de Crops)—प्रबन्धन का यह नियमन बताता है, कि प्रबन्धक कामगारों में टीम और लकड़ी लकड़ी करो। बोटों और शासन (Divide and Rule) करने वाले नियमान को समाज करना चाहिये जो असत्ता केर पर के समय देता है। प्रबन्धन ये करि आपसी विभाजन है तो प्रत्येक कामगार अपना काम करने की चाहिये एक-दूसरे का विरोध करेगा। इसलिये प्रबन्धन के लिये प्रबन्धक को टीम प्रिय की धारना से कामगारों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

प्रबन्धन के दुख भी ये कुछ अन्य विवेदनों ये जो सिद्धान्त विवरित किये हैं, यह निम्नरूप है—

के प्रबन्धन एवं जैसे— जोखिम परे काव्य  
का प्रतिनिधि

- (i) अपार की समस्याओं तथा उल्लंगनों को वैज्ञानिक पहलि से सुलझाना चाहिए।
  - (ii) प्रौद्योगिक परिवर्तनों को महण करना, अर्थात् नये उत्पक्षप्रयोग का इस्तेमाल करना, उच्च तकनीकों की विकास और वित्तसंस्थाएँ अपने लिए।
  - (iii) शून्य की क्षमता का पूरा उपयोग करना।
  - (iv) औजार, उत्पकरण, पैटेरियल, क्रियाविधि आदि के मानकों की अपनाना जिससे लागत के बढ़ने न करें।
  - (v) समय-समय पर उत्पाद के नमूनों की जाँच करना जिससे कीमतों के स्थानान्तर न करें।
  - (vi) देशेभ से होने वाली हानि को रोकना तथा बाई-प्रोडक्ट (by product) का उत्पादन करना।

(Contribution of F.W. Taylor and Frank Gilbreth in  
अमेरिका में हुए हैं टेलर और फ्रैंक गिलब्रेथ का योगदान

जब इन्होंने एक डॉक्टर (1856-1916) नाम के लिखने वाले के नाम सुना है तब उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा प्रवृत्ति-प्रदायकों को एक कला तथा विज्ञ (Art and Science) का नव्य साक्षरता देने का लक्ष्य स्थापित किया। इसी दृष्टि से उन्होंने इन्हीं टेलर अपरीक्षा को कम्पनी लिहाजेंट बड़ी बहुत विस्तृतीय रूप में विविध विषयों के बारे में विस्तृत विवरण दिये हैं जिनमें एक विशेष विवरण यह है कि इन्हीं टेलर अपरीक्षा के अध्यार पर विशेष रूप का विवरण दिया गया है।

इस लिखने के 17 वर्ष की आय में विल्हेम एवं कर्ल (Willehlem & Co.) ने एक चूपाय एवं टीपाय (Brick laying) का काम किया।

जो अन्य विषयों की विवरणों के साथ एक समूह में दर्शाया जाता है। इस विषय की विवरण (Set of notations) काल ही जब यह लिखे की तरफ आता है तो उसको प्रतिपथे एक प्रकार की बोली होती है जिस वाक या शब्द की तरफ आती है तो उसकी अर्थव्याख्या इस प्रकार के रूप में होती है और जब वह एटोटोमो वाली विषयावधि वाली विषय की तरफ होती है तो उसका अर्थ-व्याख्या विषय में यह वी अनुभव नहीं हो सकता। इस विषय की विवरण में एक ऐसी व्यवस्था नहीं आयी है कि इस अध्यार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए वाक या शब्दों का सम्बन्ध लिया जाना व्यक्त उसने इट विषयों की ऐसी तरफ नीक

- (i) व्यापार की समस्याओं तथा उलझनों को वैज्ञानिक पद्धति से सुलझाना चाहिये।
  - (ii) प्रौद्योगिक परिवर्तनों को ग्रहण करना, अर्थात् नये उपकरणों का इस्तेमाल करना, उन्नत किस्म के कटिंग टूल्स और मैटीरियल आदि प्रयोग करना, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मितव्यता प्राप्त हो सके।
  - (iii) यूनिट की क्षमता का पूरा उपयोग करना।
  - (iv) औजार, उपकरण, मैटीरियल, क्रियाविधि आदि के मानकों को अपनाना जिससे लागत में कमी आये।
  - (v) समय-समय पर उत्पाद के नमूनों की जाँच करना जिससे कमियों को सुधारा जा सके।
  - (vi) बैस्टेज से होने वाली हानि को रोकना तथा बाई-प्रोडक्ट (by product) का इस्तेमाल करना।
- ..